

सं. 21/227/2014-एम एंड जी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * *

एन डी सी सी-॥ भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक , 2014

सेवा में

श्री दिलीप सराफ,
मो. शारदा भवन, कब्रिस्तान रोड,
जोड़ा फाटक, धनबाद,
झारखण्ड।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना प्रदान करना।

महोदय,

मुझे आपके आवेदन के बिन्दु संख्या 1, 4 एवं 5 के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आपके दिनांक 30.6.2014 के आवेदनों का उल्लेख करना है।

2. इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि मंत्री का वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1952 के अनुसार यह केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी केन्द्रीय मंत्री के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। मंत्री को दिए जाने वाले वेतन एवं भत्तों के संक्षिप्त ब्यौरे की एक प्रति आपको भेजी जा रही है।

3. इस मामले में अपील प्राधिकारी, श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस) गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,



(आशुतोष जैन)

निदेशक एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :-

1- श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई सैल, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 14.08.2014 के कार्यालय जापन सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के संदर्भ में।


2- आशुतोष आचर्य (आई टी) गृह मंत्रालय नई दिल्ली को नई दिल्ली

4798/14

3/06/98

श्रीमान्

श्री श्री लालू प्रसाद आंध्र प्रदेश
 योजनामंत्री कार्यालय
 अखिल भवन
 राई 16001 - 09.



विषय:- आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश आंदोलन वर्ष 2005 का
 नए आंदोलन

URGENT
ACT
Diary No. 19858
& Date... 05/08/14
Last Date
For Disposal... 10/08/14

श्री जिला प्रशा, विवाह में लालू प्रसाद,
 मिडियाल राई, लालू प्रसाद, लालू प्रसाद, लालू प्रसाद, अखिल
 आंध्र प्रदेश से निर्गमित विषय पर जानकारी
 प्राप्त है कि इस प्रकार है।

- 1) भारत सरकार के प्रति मंत्री विधान सभा (प्रतिभा)
 एवं विधान सभा के अन्तर्गत मंत्री के रूप में
 विधान सभा का आवंटन किया जाना है।
- 2) लोकसभा एवं राज्य सभा सदस्य की मातृका
 सभा विधान सभा है। एवं मंत्री के रूप में विधान
 सभा प्रतिभा आवंटन की जाती है।
- 3) प्रधान मंत्री सभा एवं राज्य सभा सदस्य की
 उच्च विवाह क्षेत्र के लिए विधान सभा का
 विधान सभा आवंटन होता है।
- 4) आवंटित विधि (विधान सभा) की उपर विधान
 के लिए पूर्ण खर्च व्यय नहीं होता है न
 कभी पूर्व विधि कक्षा लक्ष्य कर लागू ?
- 5) विधान सभा लोकसभा या राज्य सभा के सदस्य
 की विधान सभा सभा होता है।
 श्री श्री लालू प्रसाद के साथ लक्ष्य आवंटन
 विधान सभा के लिए एक पत्र आवंटन विधान सभा
 सभा है।

पत्र संख्या नं:-
 15F 864154
 (योजना मंत्री)

आंध्र प्रदेश विधान सभा
 श्री लालू प्रसाद
 मिडियाल राई, लालू प्रसाद
 लालू प्रसाद, अखिल
 अखिल नं. 620222222.

4032012